



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एस.-आ-04012023-241663
CG-DL-E-04012023-241663

अत्याधिक

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]
No. 06]

नई दिल्ली, मुम्बायर, जनवरी 4, 2023/वाहा 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/AUASHA 14, 1944

पर्वीवरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

ग्राम्य अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

चा.का.नि. 07(ब).—साक्षा बहिःसाक्ष शोषण संबंध (इसमें इसके पश्चात् सीईटीपी के रूप में उल्लिखित) की संकलनाएँ की शुरूआत अनग-अलग उद्योगों के प्रदूषण उपचारन की साथगत में कभी लाने, अनग-अलग उद्योग में स्थान की कही के मुद्दे का समाधान करने, सदस्य उद्योगों से निस्पत्ति अपशिष्ट यात्रों को संबोधी बताने आदि के दैरेय से बीचोंनिक चम्भों में स्थित नमु एवं मध्यम उल्लम्भों (एसएमई) से उत्पन्न बहिःसाक्ष शोषण हेतु की गई थी;

पर्वीवरण (संस्करण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं. 29), इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित, की धारा 6 और धारा 25 के तहत पर्वीवरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 में सीईटीपी के लिए बहिःसाक्ष गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए थे, और उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना, तारीख 01.01.2016 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया था; और

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् सीईटीपी के का में उल्लिखित) सीईटीपी द्वारा बहिःसाक्ष मानकों का अनुपालन नियंत्रित करने हेतु प्रभावकारी नियानों तंत्र के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (इसमें इसके पश्चात् एसपीसीबी / पीसीसी के रूप में उल्लिखित) के साथ परामर्श करता है; और

सीईटीपी / एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा वेसामर में सीईटीपी भी नियंत्रण — सह — नियानी की गई और देखा गया कि कई प्रवर्तन संबंधी मुद्दों / बाधाओं वैसे — (i) सबस्य इकाइयों द्वारा नियंत्रित बहिःसाक्ष की चुपचलता और मात्रा पर

सीईटीपी संचालन एजेंसियों का व्यवहारण निर्बंधन, (ii) दोषियों की पहचान करने हेतु अपर्याप्त निगरानी तंत्र और डेटा प्रबंधन, (iii) सीईटीपी के लिए वापसीम और डाउनलॉडीम बहुत संपकों की व्यवहारण व्यवस्था, (iv) सीईटीपी के संचालन और अनुप्रयोग के लिए एकनामी के रूप से योगद और प्रशिक्षित कार्मिकों की अनुप्रब्लवता और उन्हें बोता के लिए विनियोगित नहीं करने वाले कारण सीईटीपी का कार्य-निष्ठावान कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है; और

प्रवर्तन संबंधी समस्याओं / बाधाओं / हितवारकों की कई प्रकार की भूमिकाओं का समाचाल करते हेतु, और उनम अधिनियम की धारा 3 की उप-व्याप (2) द्वारा प्रवलत तात्कालीन कार्य-निष्ठावान में सुधार लाने के लिए एवहारा, जैसा कि निम्नलिखित क्रियारूप निगरानी तंत्र अवर्त्ता, (i) राज्य / संघ राज्य बोर्ड सरकार, एसीसीसीपी / वीसीसी, (ii) सीईटीपी संचालन एजेंसियों, और (iii) सीईटीपी के संस्थल उद्योग में सुझाव दिया जाना है, हितवारकों द्वारा निशाई बालों वाली भूमिकाओं और विनियोगियों की विनियिक्त करती है।

लक्ष: अब, पर्यावरण (संरक्षण) विधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रवलत तात्कालीन कार्यों का प्रयोग करते हुए, फेन सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) विधम, 1986 के नियम 5 के उप-व्याप (3) के तहत बचाएक्ति, उससे संबंधित तीर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ, एवहारा निम्नलिखित प्राकृप नियम बनाती है; और एवहारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्राकृप अधिसूचना पर इस अधिसूचना वो संतोषित करते वाले राजपत्र भी प्रतियो बनता की उपलब्ध करने की तारीख से साठ दिनों की तारीख के वर्षात् विचार किया जाएगा।

मवौदा अधिसूचना में निम्नलिखित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपरोक्त विनियिक्त अवधि के बावजूद उन्हें फेन सरकार के विचारार्थ हेतु लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिविरा पर्यावरण भवन, बोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003 को वा ईमेल आईडी: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - इन नियमों को "साझा वहिकाव उपचार संरचना संबंधी विनियमन विधम, 2022" कहा जाएगा।

2. ये भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकालन की तारीख से एक वर्ष के बाव लागू होंगी।

3. पर्यावरण (संरक्षण) विधम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 55 में 'भोज्य' के बाद निम्नलिखित अंतःस्वापित किया जाएगा, अर्थात्;

4. भूमिकाएं और विनियोगियों

(i) राज्य सरकार/एसीसीसीपी/वीसीसी

- I. राज्य सरकार या इसके अधिकारण वह सुनिश्चित करेंगे कि अपशिष्ट के उचित बहुत के लिए पर्याप्त अपस्ट्रीम और डाउनलॉडीम बहुत लिंकें/पैनल भीवूचू हैं।
- II. एसीसीसीपी/वीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सबस्थ उद्योग के पास सीईटीपी इलेक्ट्रोनिक और वाले वाली कानेंस सिस्टम के लिए शिखन विवरार्ज डाउलोड पॉइंट है।
- III. एसीसीसीपी/वीसीसी सीईटीपी की डिजाइन विशेषताओं/क्षमता के आधार पर प्रत्येक सबस्थ उद्योग से सीईटीपी में बहिलाव के निर्बहन के लिए सीईटीपी की ऑरिंग अधिकारण के भागवत्त से विशेष गुणवत्ता मानकों के लिए बानक निष्ठारूप करेंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- IV. एसीसीसीपी/वीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीईटीपी का संचालन अधिकारण पारदर्शी योगी प्रक्रिया के नाप्रथम से एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के माध्यम से नियुक्त की जाती है, ताकि सीईटीपी का संचालन करने वालों और सीईटीपी को फंडिंग करने वालों के बीच हितों के टकराव से बचा जा सके।

- v. एसपीसीबी/पीसीसी निम्नलिखित उद्देशों के साथ सभी सीईटीपी और संवैधित श्रीचोरिक हेतु के आदृश्यक भौतिक निरीक्षण के साथ रीपल-टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे:
- क. सीईटीपी के इनलेट मुख्यवाचा मानकों के अनुपालन की जांच करना।
 - ब. सीईटीपी के लिए अधिसूचित निस्तरण मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए, या एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्विहित कोई और अधिक कठोर मानकों या तृत्य तरल निस्तरण (येडलडी) की स्थिति की जांच करने के लिए।
 - ग. सीईटीपी में ऑनलाइन तहत बहिःसामग्री गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के रखरखाव और यंत्र शौश्रून स्थिति की जांच करना।
 - घ. सबल उद्योगों/सीईटीपी/श्रीचोरिक हेतु से अनुपचारित श्रीचोरिक बहिःसामग्री के विस्तीर्ण वाक्यापास की घटना को दोकने के लिए।
- vi. एसपीसीबी/पीसीसी कम से कम तिमाही में सभी सीईटीपी के प्रदर्शन की स्थिति को अपनी संबंधित केवथाइटों पर अपलोड करेंगे। प्रदर्शन की स्थिति में जिनाइन और परिचालन समझा, उपचार योजना, सहमति और प्राक्षिकार भी वैधता अपेक्षित हैं, निगरानी मूल्य और इनलेट और आउटलेट गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की स्थिति और उसके बाद की गई कार्रवाई शामिल हो सकती है।
- vii. एसपीसीबी/पीसीसी नई श्रीचोरिक इकाइयों की व्यापाना की अनुमति नहीं देगा जो सीआईएसी में सामिल होने वा मीकूदा सबस्ट उद्योगों के विस्तार का प्रस्ताव करते हैं, यदि वे निर्विहित मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं या वहां ऐसे सीईटीपी में पर्याप्त हाइड्रोजिक जगता नहीं है, तभी मानकों को छोड़कर जो सीईटीपी के प्रदर्शन की प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे :
- क. इसके परिसामस्ट्रक्यम प्रदूषण भार में बढ़ि नहीं होती है, जैसे कि उद्योग बहिःसामग्री सुबन नहीं करते हैं जिनमें 100% बहिःसामग्री पुर्वज्ञ ईकाइयां हैं, उच्चांश द्वारा संकेन्द्रित स्ट्रीम वर्ष सुबन होता है जिसका निपटान साझा परिसंकटमय अपरिहित उपचार और निपटान केन्द्र में होता है।
 - ख. सीईटीपी में अप्रदूषक हाइड्रोजिक जगता है, और नए उद्योग के बहिःसामग्री मीकूदा सबस्ट उद्योगों के विस्तार से सीईटीपी के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
 - ग. यदि कोई मदस्य श्रीचोरिक इकाइ अपने बहिःसामग्री को सीईटीपी में नहीं प्रवाहित करती है, तो स्टैडलसोन उद्योग के पर्यावरणीय मानक उक्त इकाइ पर लागू होगे।
- viii. उल्लंघनात्मक अनुपालन न होने की स्थिति में एसपीसीबी/पीसीसी मानवीय एनजीटी के आवेदनों के अनुपालन में पर्यावरणीय विषयपूर्ण बहुलने, चूकतर्ता इकाइयों/सीईटीपी के विरुद्ध बाटू बतावो नोटिस या यंत्र अपरोक्ष के निर्देश जारी करता है तो उसकी सूचना सीईटीपी की अपरोक्षित एवं जोखी को दी जाएगी। सीईटीपी में उल्लंघनों की पुनरावृत्ति के मामले में एसपीसीबी/पीसीसी, सीईटीपी के लिए नए व्यावसायिक प्रबंधन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
- ix. राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां सीईटीपी और / या प्राथमिक बहिःसामग्री उपचार संबंधों (पीईटीपी) से उल्लंघन बहारनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए साझा बहारनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधाओं (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
- x. एसपीसीबी/पीसीसी बहारनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन (एचडब्ल्यूएम) नियमावली के तहत एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी प्राक्षिकार में निर्धारित शर्तों के अनुपालन बहारनाक अपशिष्टों के निपटान के लिए साझा बहारनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) के साथ सीईटीपी और सबस्ट उद्योगों को सुनिश्चित करेगा।

- xl. सीईटीपी में उपचार के उनित चरण में अपशिष्ट के साथ सीवेज की तंत्रित मात्रा के मिश्रण की अनुमति एसपीसीबी/पीसीसी स्प्रावा दी जा सकती है, बड़ि पहुंचिक उपचार शक्तिया में शोषण क्षमता में सुधार करता है या स्वामीय निकाय की व्यवस्थाकाम के अनुसार व्याप्त-पास के रिहायशी सेव से सीवेज का शोषण करता है, बड़ते कि सीईटीपी के डिजाइन में सीईटीपी में शोषण के लिए प्रत्यावित सीवेज के धैविक भार के साथ-साथ हाइड्रोलिक भार और ध्वनि में रक्षा गया हो।
- (ii) सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ:
- I. सीईटीपी को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए, एक विशेष प्रयोग नाहन (एसपीबी) या सोसाइटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत) या ट्रस्ट (एक उपयुक्त कानून के तहत पंजीकृत) होगा, जो सीईटीपी के पूरे औपरियां और रखरखाव के लिए विनियोदार होगा।
 - II. सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ सदस्य इकाइयों के बीच कुल उपलब्ध शोषण क्षमता का विभाजन सुलिखंसंगत और पारदर्शी तरीके से करेंगी। सीईटीपी और उसकी सदस्य इकाइयों के बीच, उनके पारस्परिक वायिल्टी, सदस्यता के नियंत्रणों एवं शर्तों, सदस्यता शुल्क सीईटीपी के संस्कारण और शोषण प्रणाली, संचालन और अनुरक्षण के लिए विकसित जगत क्षमता क्षमता और प्रभुता आवि को उपलब्ध रूप से निर्धारित करते हुए, एक कानूनी समझौता किया जाएगा।
 - III. सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ नियारूपित ज्ञाम (इन्सेट) और निर्गम (आउटलेट) बहिस्राव मात्राओं का अनुपालन करेंगी। स्व-विनियोगामक तंत्र के माध्यम से निवारानी और अनुपालन को सुनुक करने हेतु, सीईटीपी में ऑनलाइन सतत बहिस्राव नियारानी तंत्र (ओसीईएमएस) संस्थापित किया जाएगा और एसपीसीबी/पीसीसी तंत्र जीपीसीबी को डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
 - IV. सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ अनुपालन सुनियित करने के लिए सदस्य इकाइयों द्वारा नियमित लिए जा रहे बहिस्राव की मात्रा और उपचारालय की निवारानी हेतु एक स्वचालित (अर्थात् एसीईडीए – पीएलजी एवं बोयो सिम्प्लरी और सेल्टों के माध्यम से) बॉनसाइट तंत्र स्वापित करेंगी। नियारानी लिए गए डाटा संरेक्षण स्वापित करके एसपीसीबी/पीसीसी को उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लंघन वा बहिप्रिकृत नियरण को दैनें हेतु उपयुक्त स्थानों पर सीईटीपी के बाहर भी लगाए जाएंगे।
 - V. ईंकरों के माध्यम से बहिस्राव के परिवहन के बाबले में, सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ:-
 - A. एप्रिकूट संचार प्रौद्योगिकी (आईईटी), यो बहिस्राव के एप्लीकेशन और सीईटीपी तक परिवहन के लिए ईंकरों के साथ संभारतेज (लॉजिस्टिक शिस्टम) से संरुक्त होगी, के माध्यम से सीईटीपी, सदस्य उद्योगों और ईंकरों के बीच क्रियावीय संपर्क स्वापित करेंगी।
 - B. यह सुनियित करेंगी कि ईंकर बीपीएस प्रणाली से सुकर हैं और ईंकरों की वास्तविक समय नियारानी करेंगी। - VI. सीईटीपी संचालन एजेंसियों को अपशिष्ट जल के नमूने एकन करने हेतु बिना पूर्व नोटिफिकेशन के सदस्य उद्योग के परिसर में प्रवेश करने का प्राप्तिकार होगा। बड़ि, ओसीईएमएस प्रणाली संस्थापित हो, तो सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ नियारानी किए गए मानों के ऑनलाइन डाटा के साथ जुग संस्थापित की भी बांध कर सकती हैं।
 - VII. सीईटीपी संचालन एजेंसियाँ यह सुनियित करेंगी कि सदस्य उद्योगों द्वारा उनके व्यावारिक बहिस्राव का नियसारण उनके अलग-अलग पीईटीपी के आउटलेट मात्राओं को पूरा करके किया जाता है। मानकों का अनुपालन न करने और/या संचालन और अनुरक्षण लागतों को पूरा करने हेतु विनियोगित समय वीवाइडों के भीतर उनके अलग जा भुगतान न किए जाने के माबले में, सीईटीपी संचालन एजेंसियों डिजिटा कार्डराई करेंगी, जैसे दोषी सदस्य के बहिस्राव को लेने से याता करना, अलग-अलग इकाई की सीईटीपी वी सदस्यता को निरसा करना आदि। सीईटीपी संचालन की एजेंसी किसी सदस्य उद्योग से उत्पन्न प्रबाहु को विनियोगित करने हेतु नियंत्रण तंत्र विकसित करेंगी।

- जन्मपालन न करने वाली ऐसी सदस्य बीड़ोगिक इकाइयों की सूची और उसके विकल्प की गई कार्रवाई का न्यौता जाएगी की आवश्यक कार्रवाई हेतु अन्नलाइन हरीके से एसपीसीबी/पीसीसी की उपलब्ध कराया जाएगा।
- viii सीईटीपी संचालन एजेंसियों प्राधिकार में नियांरित शर्तों के अनुसार, मन-मन के नक्षणों (यानि बहरनाम का ई-बहरनाम) के आधार पर बल-बल का प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। बैंड से सूचित छहरनाम अपशिष्ट के निपटान के लिए शोषण, रज-नकार और निपटान बैंड (टीएसपीएफ) के साथ पर्याप्त संरक्षण अवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- ix सीईटीपी संचालन एजेंसियों, जीतिक और जलीय स्थिति के लिए अपलॉड तथा डाउनलॉड बहन लिंकेजों द्वारा नियरानी करेगी। किसी भी प्रकार की अपर्याप्तता की स्थिति में उक्त विषय का समाप्तान दिया जाएगा और/या राज्य एजेंसियों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- x सीईटीपी संचालन पर्याप्तियां, कम से कम, मुख्य मानदंडों, नामता: शीएच, शीओडी, शीबोडी, टीएसएस और एसपीसीबीए पीसीसी द्वारा विनियिंदृष्ट किसी बाल मानदंड हेतु स्थान-विशेष पर प्रयोगकाला संबंधी सुनिश्चित स्थापित करेगी।
- xi बिजली आपूर्ति बढ़ायी रुपें के द्वारा भी सीईटीपी के नियरान संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कामया वाले वैकल्पिक विसूत बैकलप की अवस्था की जाएगी।
- xii सीईटीपी संचालन एजेंसियों, वर्ष में कम से कम एकवार ज्ञाता मानकों में नियांरित सभी मानदंडों को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त होने वाले जल और जूल की उसके विस्तार के साथ नियमित रूप से सतही एवं भूजल गुणवत्ता संबंधी नियरानी करते के लिए उत्तरदायी होंगी।

(iii) सीईटीपी के सदस्य उच्चोग:

- I. जैसा कि एसपीसीबीपीसी द्वारा जारी भी गई सहनियतियों में नियांरित है, सदस्य उच्चोग अपने अवक्षिप्त शीईटीपी के नियरान नियमों का पालन करते हुए अव्यापरिक बहिःसाल का विसर्जन करेंगे।
- II. सदस्य उच्चोग बहिःसाल के विनियिंदृष्ट गुणवत्ता मानदंडों और बहादूर भी नियरानी करते और शीलाइन आधार पर रिपल-टाइन के माध्यम से सीईटीपी संचालक को नियरानी संबंधित डाटा प्रदूषित करेंगे। सीईटीपी में नियांरित पूर्व-शोधित बहिःसाय भी गुणवत्ता और जाता सीपीसीबी/पीसीसी द्वारा नियांरित सीमा से अधिक नहीं होगी।
- III. सीईटीपी भी ओर ले जाने वाली वहन-अवस्था के लिए सदस्य उच्चोग के पास एकल बहिःसाल ज्वाइंट होगा।
- IV. सदस्य उच्चोग संचालन और रजरवार संबंधी जागतों के बहन हेतु सीईटीपी संचालन एजेंसियों ने ऑनसाइज तरीके के बाबत से, यथासमय अपने हिस्ते का भुगतान करेंगे।
- V. सदस्य उच्चोग बालों के रिसाव, पाश्वों में छिंदों और दरारों, दोषपूर्ण उत्पर्करण इत्यादि वी अंत करते रहकर समुचित रजरवार सुनिश्चित करते ताकि करने माला/संसाधनों के बापचर और प्रदूषण से बचा जा सके।
- VI. सदस्य उच्चोग, प्राधिकार में नियांरित शर्तों के अनुसार, विभिन्न इकाई संचालनों और / या प्राचमिक शोहन से अनियुक्तरनाम अपशिष्ट के पृष्ठकरण, बैठारण और निपटान के लिए पर्याप्त अवस्था भरेंगे।

[फा.सं. अनु-15017/7/2022-पीपीबज्जू]

नरेता यात्रा भीगवार, अपर सुनिश्चित

नोट: नूत्र नियम भारत के राजपत्र, भवाधारण, भाग II, अंत 3, उप-वर्ण (l) में संक्षा का.मा. 844 (अ) दिनांक 19 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

G.S.R. 87(E).— Whereas, concept of Common Effluent Treatment Plant (herein after referred to as CETP), was introduced for collective treatment of effluents from small & medium scale enterprises (SMEs) located in industrial clusters in order to reduce cost of pollution abatement of individual industries, address the lack of space issue in the individual industry, homogenize wastewater from member industries, etc.; and

Whereas, under section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act No. 29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, effluent quality standards for CETPs were notified by MoEF&CC in 1991, and subsequently revised vide Gazette Notification dated 01.01.2016; and

Whereas, the Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as CPCB) interacts with State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees (hereinafter referred to as SPCBs/PCCs) regarding effective monitoring mechanism to ensure compliance of effluent standards by CETPs; and

Whereas, CPCB/SPCBs/PCCs carried out inspection-cum-monitoring of the CETPs across the country and observed inefficient performance of CETPs due to many enforcement issues/ bottlenecks, such as (i) inadequate control of CETP operating agencies on the quality & quantity of effluent discharged by member units, (ii) inadequate monitoring mechanism and data management to identify defaulters, (iii) inadequate upstream and downstream conveyance linkages for the CETPs, (iv) non-availability & non-hiring of technically qualified & trained manpower for operation & maintenance of CETPs, etc.; and

Whereas, in order to address the enforcement issues/bottlenecks/multiplicity of roles of the stakeholders, and in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby specifies the roles & responsibilities, as suggested in the following three tier monitoring mechanism, to be undertaken by the stakeholders namely, (i) State/UT Governments, SPCBs/PCCs, (ii) CETP operating agencies, and (iii) Member Industries of CETPs, for effective functioning and improving environmental performance of CETPs:

Now Therefore, In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, India Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: msccb.cpcb@moef.gov.in and sccu.singh@gov.in

1. Short title and Commencement — These rules may be called "Regulations of Common Effluent Treatment Plants Rules, 2022".

2. They shall come into force after one year from the date of final publication in the Official Gazette.
3. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, in serial number 55 following shall be inserted after 'Notes', namely:-
4. Roles and Responsibilities

(i) State Governments/SPCBs/PCCs

- i. The State Government or its agencies shall ensure that adequate upstream and downstream conveyance linkages/channels are in place for proper carriage of effluent.
- ii. SPCBs/PCCs shall ensure that a member industry has single discharge outlet point to conveyance system leading to the CETP inlet.
- iii. The SPCBs/PCCs shall prescribe standards for specific quality parameters, in consultation with the CETP operating agency, for discharge of effluent from each member industry to CETP, based on design features/capacity of CETP and ensure compliance of the same.
- iv. The SPCBs/PCCs shall ensure that the CETP operating agency is appointed through an independent third party through transparent bidding process, so as to avoid the conflict of interest between those operating the CETP and those funding the CETP.

- v. SPCBs/PCCs shall carry out real-time online monitoring with random physical inspection of all CETPs and the associated industrial areas with the following objectives:
- To check compliance of inlet quality parameters of the CETP.
 - To check compliance of the notified discharge standards for CETPs, or if any more stringent standards or Zero Liquid Discharge (ZLD) condition specified by the SPCBs/PCCs.
 - To check maintenance and calibration status of the online continuous effluent quality monitoring system in the CETP.
 - To check occurrence of any bypass of untreated industrial effluents from member industries/CETP/industrial area.
- vi. SPCBs/PCCs shall upload the performance status of all CETPs on their respective websites, at least quarterly. The performance status may include, design & operational capacity, treatment scheme, validity period of consents & authorization, monitored values & compliance status of inlet & outlet quality parameters and action taken thereof.
- vii. SPCBs/PCCs shall not permit establishment of new industrial units that propose to join a CETP or expansion of existing member industries, if they are not complying with the specified standards or where such CETP does not have adequate hydraulic capacity, except for the cases which do not impact performance of the CETP, such as:
- Not resulting in increase in pollution load such as industries generating no effluent, 100% effluent recycling units, industries generating only concentrated streams disposed at Common Hazardous Waste Treatment and Disposal Facility.
 - CETP has unutilised hydraulic capacity, and the effluent of new industry/ expansion of existing member industries will help in improving the performance of the CETP.
 - In case, a member industrial unit does not discharge its effluent to a CETP, the environmental standards of the standalone industry shall be applicable to the said unit.
- viii. In case of violations/non-compliances, SPCBs/PCCs shall take suitable actions such as, levying environmental compensation in pursuance to the Hon'ble NGT orders, issuing show cause notices or closure directions etc., against defaulting units/CETPs. In case of SPCB/PCCs issuing any notice to defaulting member unit, the same shall also be communicated to the CETP operating agency. In case of repeated violations in CETPs, SPCBs/PCCs shall ensure to bring in new professional management for CETPs.
- ix. The State Government and its agencies shall ensure availability of Common Hazardous Waste Treatment, Storage & Disposal Facilities (CHWTSDF) for disposal of hazardous wastes generated from CETPs and/or Primary Effluent Treatment Plants (PETPs).
- x. The SPCBs/PCCs shall ensure association of CETPs & member industries with Common Hazardous Waste Treatment, Storage & Disposal Facilities (CHWTSDF) for disposal of generated hazardous wastes, as per the conditions prescribed in the Authorisation, issued by SPCBs/PCCs, under Hazardous and other Waste Management (HOWM) Rules.
- xi. Mixing of appropriate quantity of sewage with effluent at an appropriate stage of treatment in CETP, may be permitted by SPCB/PCC, in case it improves treatability in biological treatment process or as a requirement of the local body to treat sewage from adjoining habitation area, provided that design of the CETP has taken into account hydraulic as well as organic load of sewage proposed to be treated in CETP.

(ii) CETP operating agencies:

- In order to manage the CETP professionally, there shall be a Special Purpose Vehicle (SPV) or Society (registered under the Societies Registration Act, 1860) or Trust (registered under an appropriate statute), which would be responsible for the entire operation and maintenance of CETP.
- The CETP operating agencies shall distribute the total available treatment capacity among the member units in a rational and transparent manner. A legal agreement between the CETP and its member units clearly delineating their mutual obligations, terms & conditions of membership, membership fee, cost recovery formula developed for the installation & treatment charges, operation & maintenance of CETP, etc. shall be executed.
- The CETP operating agencies shall comply with the prescribed inlet and outlet effluent standards. In order to strengthen the monitoring and compliance through self-regulatory mechanism, Online Continuous Effluent

- Monitoring System (OCEMS) shall be installed at the CETP and data connectivity be provided to SPCBs/PCCs & CPCB.
- iv. The CETP operating agencies shall develop an automated online mechanism to monitor quantity & quality of effluent (say, by way of installing SCADA-PLC & auto samplers/sensor) being discharged by the member units, to ensure compliance. The connectivity of the monitored data shall be provided to SPCBs/PCCs. CCTV cameras at appropriate locations shall also be installed to check bypass or unauthorised discharges.
 - v. In case of transportation of effluent through tankers, CETP operating agencies shall
 - a. have a tri-partite interface among the CETP, member industries and tankers, through an integrated communication technology (ICT), combined with logistic system with tankers for collection and transportation of effluent to CETPs.
 - b. ensure that tankers are fitted with GPS system and carry out real-time monitoring of the tankers.
 - vi. The CETP operating agencies shall have authority to access the member industry premises, without prior notice, to collect wastewater samples. The OCEMS system, if installed, shall also be accessible to the CETP operating agencies for cross-verification of the monitored values with the online data.
 - vii. The CETP operating agencies shall ensure that the member industries discharge their trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs. In case of non-compliance of the norms and/or non-payment of their share, within specific/agreed time limits, towards meeting operation & maintenance costs, the CETP operating agencies shall take appropriate action, such as, refuse to take effluent of defaulting member, cancellation of membership of the individual unit with CETP, etc. The CETP operating agency shall develop the control mechanism to regulate the flow from a member industry. The list of such non-complying member industrial units and action taken against them shall be provided to SPCBs/PCCs, through online mode, for further necessary action.
 - viii. The CETP operating agencies shall ensure sludge management based on the sludge characteristics (i.e. hazardous or non-hazardous) as per the conditions prescribed in the Authorisation. Adequate linkages with Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) for disposal of hazardous waste, generated from the facility, shall be ensured.
 - ix. The CETP operating agencies, shall also monitor the upstream and downstream conveyance linkages for the physical and hydraulic status. In case of any inadequacy, the same shall be addressed and/or reported to the State Agencies.
 - x. The CETP operating agencies shall establish the laboratory facilities on site, at least, for the core parameters, namely, pH, BOD, COD, TSS and any other parameter specified by SPCBs/PCCs.
 - xi. Alternate power backup arrangement of adequate capacity shall be installed at CETP to ensure continuous operation of CETP even during power failure.
 - xii. The CETP operating agencies shall be responsible for carrying regular surface and ground water quality monitoring of the receiving water and ground water along its reaches, covering all the parameters prescribed in the stream standards at least once a year. Such analysis report will form part of environmental audit being conducted annually.

(iii) Member Industries of a CETP:

- i. Member industries shall discharge the trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs, as prescribed in the consents issued by SPCBs/PCCs.
- ii. Member industries shall monitor specified quality parameters & flow rate of the effluent and submit the monitoring data to the CETP operator through real-time online basis. The quality and quantity of the pre-treated effluent discharged to CETP shall not exceed the limits as prescribed by SPCBs/PCCs.
- iii. Member industry shall have a single discharge point to the conveyance system leading to CETP.
- iv. Member industries shall pay their share, timely through online mode, to CETP operating agency towards meeting operation & maintenance costs.
- v. The member industries shall ensure proper maintenance by keeping check on leaking valves, cracks and fissures in pipes, faulty equipment, etc. so as to avoid wastage of raw materials/resources and pollution.

- vi. Member industries shall make adequate arrangement for segregation, storage and disposal of the hazardous waste being generated from different unit operations and/or the primary treatment, as per the conditions prescribed in the Authorisation.

[F.No. Q-15017/7/2022 – CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986